

संख्या-1067/62-2-2003-2/2(6)/2000

प्रेषक,

**राम कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा
में,

1. **मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ**
2. **समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश**
3. **समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।**

विषय- निःशुल्क बोरिंग योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के चयन में न्यूनतम जोत सीमा 0.5 हेक्टेयर के प्रतिबन्ध को समाप्त करने तथा अनुमन्य अनुदान रू० 5000/- को बढ़ाकर रू० 6000/- किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या 6267-1/62-2-2001-2/2(27)/99, दिनांक 16-12-2001 एवं शासनादेश संख्या 2213/62-2-2/2(42)/98 दिनांक 06 जून 2002 द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के सम्बन्ध में तत्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय :-

1. योजनान्तर्गत कृषकों के चयन हेतु 0.5 हेक्टेयर से कम जोत वाले कृषकों की व्यक्तिगत बोरिंग न करने के प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया जाय तथा पम्पसेट स्थापित करने की व्यवस्था एवं पम्पसेट के क्रय में बैंक से ऋण लेने की बाध्यता को समाप्त कर इसे स्वैच्छिक कर दिया जाय।
2. योजनान्तर्गत कृषकों को वर्तमान में अनुमन्य अनुदान रू० 5000/- को बढ़ाकर रू० 6000/- कर दिया जाय।

उपर्युक्त के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2001 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 2002 के प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

उपर्युक्त आदेशों के प्रतिकूल यदि कोई तथ्य/निर्देश पूर्व में जारी है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त समझा जाये।

भवदीय,

राम कुमार

प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
2. ग्रामीण अवस्थापना आयुक्त, शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
3. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त/नियोजन/राजस्व/संस्थागत वित्त उत्तर प्रदेश शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त तथा ग्रामीण अवस्थापना आयुक्त शाखा के समस्त विभागाध्यक्ष।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन।
6. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/राज्य ग्राम विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बी०के०टी०, लखनऊ।
13. समस्त संयुक्त/उपविकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता(ल०सि०)उत्तर प्रदेश।
15. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17. अधीक्षण अभियन्ता विषय विशेषज्ञ ल०सि० विभाग उ०प्र०, लखनऊ।
18. अधिशासी अभियन्ता(ल०सि०) आपूर्ति खण्ड, लखनऊ।
19. निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ०प्र० स्टेशन रोड, लखनऊ।
20. गार्ड फाइल अनुभाग-2

आज्ञा से

(देव प्रताप सिंह)

अनु सचिव